Volume : 1 | Issue : 4 | Sep 2012 • ISSN No 2277 - 8160

Research Paper | Mass Communication

ख़तरनाक हो रहा सोशल मीडिया
(Khatarnak Ho Raha Social Media)

Rajeshwer

Ph.D. Research Scholar,Department of Journalism and Mass communication
Singhania University, Pacheri Bari, Distt.-Jhujhunu, Rajasthan

ABSTRACT

ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अनुमान के अनुसार विश्व की करीब सात अरब आबादी में से दो अरब लोग इन साइट्स की सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं। इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स से जहां कई फायदे हैं वहीं इसका गलत प्रयोग भी षुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले अपलोड की गई हिंसा की तस्वीरें इसका ताजा उदाहरण है। इन साइट्स की लोकप्रियता का प्रभाव सकारात्मक रूप की बजाय नकारात्मक रूप में अधिक देखा जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपने साथ साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी लाई हैं। आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन साइट्स की मॉनीटरिंग के इंतजाम नहीं हैं और आईटी एक्ट में भी कई खामियां हैं। सरकार को इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के गलत प्रयोग पर षिकंजा कसने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान करने होंगे।

KEYWORDS:

वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रयोग को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। हर व्यक्ति इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दुरुपयोग पर किस तरह अकुंश लगाया जाए। विश्व में इंटरनेट का व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू होने के कुछ ही वर्षो बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स का शुभारंभ हुआ। पहले ये साइट्स बहुत कम संख्या में थीं और कंप्यूटर नेटवर्किंग की सहायता से एक सीमित दायरे में ही संचालित होती थीं, लेकिन 1995 के आसपास वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई तो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मौजूदा स्वरूप सामने आया। आज इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही हैं। अनुमान है कि विश्व की करीब सात अरब आबादी में से दो अरब लोग इन साइट्स की सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं।

इन साइट्स ने जहां उम्र, लिंग, धर्म और देश-प्रदेश की सीमाओं को तोड़ कर लोगों को एक मंच पर लाकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, वहीं इनसे खतरों का भी आगमन हो गया है। इसका ताजा उदाहरण हिंसा की वे तस्वीरें हैं, जो इन साइट्स पर गत एक माह के दौरान खास इरादे से अपलोड कर दी गई। यदि सरकार ने उचित कदम न उठाए होते तो शरारती तत्व अपने मकसद में कामयाब भी हो सकते थे। इसलिए अब इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हो रहे गलत प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए कुछ किया जाना बहुत जरूरी है।

क्यों होता है दुरुपयोग

अपने ई-मेल एड्रेस की सहायता से कोई भी व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना खाता खोल सकता है। पूरे विश्व में कहीं भी ई-मेल एड्रेस बनाने के लिए स्थाई पहचान देने की जरूरत नहीं है। शरारती तत्व इसी बात का फायदा उठाते हुए नकली पहचान से ई-मेल एड्रेस बना लेते हैं और इससे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना खाता खोल लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, माइ स्पेस समेत कई साइट्स पर ऐसे तत्वों ने जुलाई के पहले सप्ताह में आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की है।

इन साइट्स पर ऐसे चित्र एवं वीडियो अपलोड कर दिए गए, जिनमें बांग्लादेश, म्यांमार में प्राकृतिक आपदाओं और अन्य हिंसक घटनाओं की तस्वीरों को असम की तस्वीरें बताया गया। इससे यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि असम में मुस्लिमों पर बड़े पैमाने पर हिंसा की जा रही है। ऐसी करीब पांच सौ से ज्यादा तस्वीरें, वीडियो एवं लिखित सामग्री ने. टवर्किंग साइट्स पर कुछ समय के दौरान डाल दी गई और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं लगी। जब बेंगलुरु से पूर्वोत्तर के लोगों का पलायन शुरू हुआ, तब इस षडयंत्र का पता चला।

शरारती तत्व बना रहे इसे हथियार

इंटरनेट की इस दुनिया में इन साइट्स की उपयोगिता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी लोकप्रियता को शरारती तत्व हथियार बना रहे हैं। देश में डेढ़ करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं, जबकि इंटरनेट यूजर आबादी दस फीसदी से अधिक होने का अनुमान है, और यह तेजी से बढ़ रही है। नेटवर्किंग साइट्स के मोबाइल पर मिलने से नौजवानों में यह काफी लोकप्रिय हो रही हैं। इन साइट्स की लोकप्रियता का प्रभाव सकारात्मक रूप की बजाय नकारात्मक रूप में अधिक देखा जा रहा है। हालांकि पहले भी कुछ चुनौतियां इनसे उत्पन्न हुई थीं। विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक एवं गुमराह करने वाली टिप्पणी हुई थी। ऐसी घटनाएं तमाम देशों में हो रही हैं।

इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग कई देशों में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार आतंकी संगठन भी इनकी सहायता से अपने नेटवर्क के बीच कोड भाषा में संपर्क साधने का कार्य करते हैं। इसकी वजह यह है कि खुफिया एजेंसियां संदिग्ध व्यक्तियों के ई-मेल को इंटरसेप्ट कर रही हैं, जबकि इन साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल से कोड भाषा में संदेश खुफिया एजेंसियों की नजर से बच जाते हैं। इसलिए आतंकी संगठनों के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स द्वारा संदेश भेजना आसान तरीका है।

साइबर बुलिंग

फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों ने युवाओं के लाइफ स्टाइल और तौर-तरीकों पर गहरा असर डाला है। एक ओर जहां इन माध्यमों ने एक दूसरे से संपर्क में रहना, जानकारियां बांटना और आसान बना दिया है, वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपने साथ साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी लाई हैं। भारत में फेसबुक या ट्विटर पर साइबर बुलिंग से जुड़े आधिकारिक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जो सवाल खड़े करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एक सर्वे के मुताबिक ऑनलाइन या साइबर बुलिंग के मामलों में भारत का विश्व में तीसरा नंबर है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किए इस सर्वे में कहा गया है कि भारत में 53 फीसदी बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार होते हैं।

बढ़ रहे साइबर अपराध

देश में हर वर्ष साइबर अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधों के लिए आईटी एक्ट बनाया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक 2010 में जहां आईटी एक्ट के तहत 966 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2011 में इनकी संख्या में 85 फीसदी का इजाफा हुआ और मामले बढ़ कर 1781 हो गए। इसी प्रकार साइबर अपराध के 422 मामलों में आईपीसी के तहत भी मामले दर्ज हुए। ऐसे मामलों में भी गत वर्ष की तुलना में 18 फीसदी इजाफा हुआ है। खबर यह है कि इनमें से 70-75 फीसदी मामले अनसुलझे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास जांच के इंतजाम नहीं हैं। इतना ही नहीं, देश में खुले एकमात्र साइबर ट्रिब्यूनल में एक साल से जज नहीं है। साथ ही, नियमित अदालतों में भी साइबर अपराधों की जानकारी रखने वाले जजों एवं संबंधित स्टाफ का अभाव है, इसलिए साइबर अपराधी जल्दी छूट जाते हैं।

नहीं होती है मॉनीटरिंग

देश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मॉनीटरिंग के इंतजाम नहीं हैं। आईसीईआरटी और खुफिया एजेंसियां आंशिक रूप से निगरानी का कार्य तभी करती हैं, जब कोई शिकायत मिले या फिर कोई गोपनीय सूचना आ रही हो। यही कारण है कि 13 जुलाई से सामग्री वेबसाइट्स पर अपलोड होती रही और सरकारी एजेंसियों को तब पता चला, जब उसके गंभीर नतीजे सामने आ चुके थे।

कमजोर है कानून

भारत ने वर्ष 2000 में अपना सूचना प्रोद्यौगिकी कानून पारित किया था। तब सोशल ने. टवर्किंग साइट्स का चलन नहीं था। 2008 में इस कानून में कुछ संशोधन जरूर हुए हैं। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक इस आईटी एक्ट में कई खामियां हैं।

- 'सूचना प्रोद्यौगिकी कानून की धारा 66 ए के तहत साइबर बुलिंग के कुछ मामले ही कवर होते हैं।
- 'अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कोई आपत्तिजनक संदेश भेजते या प्रकाशित करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है।
- 'केवल तीन साल की सजा का प्रावधान (पांच लाख रुपए का जुर्माना भी)
- 'इस अपराध में जमानत मिल सकती है।
- 'कानून के क्रियान्वयन के लिए पुलिस में साइबर क्राइम सेल नाममात्र के हैं। उनमें साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हो रही। ट्रेनिंग भी पर्याप्त नहीं है।
- जब आपत्तिजनक सामग्री दूसरे देश से अपलोड की जाए तो जांच एजेंसियों के हाथ बंध जाते हैं।

कई बार हुए हैं साइबर हमले

प्रधानमंत्री कार्यालय, सीबीआई जैसे संस्थानों की महत्वपूर्ण वेबसाइट्स पर साइबर हमले हो चुके हैं। सिर्फ कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान भारतीय वेबसाइट्स पर करीब आठ हजार साइबर हमले हुए थे। सरकारी एवं निजी कामकाज में इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ रही है, इसलिए खतरा यह है कि नेटवर्क पर हमले से कामकाज ठप न हो जाए, लेकिन यह सा. इबर सुरक्षा का सिर्फ एक पहलू है। तमाम उपाय इस दिशा में हो रहे हैं कि कैसे आतंकी या शरारती तत्वों से साइबर नेटवर्क को तहस-नहस होने से बचाया जाए।

अब नकेल कसने की तैयारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनल ग्रेट इंटरलीजेंस सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। अब हुए सांप्रदायिक साइबर अटैक के बाद केंद्र सरकार अब नए सिरे से इस समस्या को ले रही है। साइबर अपराधों की जांच, साइट्स की निगरानी तथा साइबर फॉरेंसिक की दिशा में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तैयारी अभी अधूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के अनुसार नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (एनटीआरओ) तथा

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (आईसीईआरटी) को साइबर सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं को देखने का जिम्मा दिया गया है।

उधर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को अपने दायरे में लाने के लिए सरकार से जरूरी संशोधन करने को कहा है। काउंसिल ने हाल में सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने और उसके बाद पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ भड़की हिंसा का हवाला देते हुए अपनी मांग को जायज बताया है।

निष्कर्ष

जिस प्रकार इंटरनेट बैंकिंग के लिए पासवर्ड ग्राहक को मोबाइल फोन के जरिये नेटब. किंग शाखा से भेजा जा सकता है, उसी प्रकार की व्यवस्था सोशल नेटवर्किंग साइट भी कर सकती हैं। इससे 99 फीसदी मामलों में व्यक्ति की सही पहचान की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए यह प्रावधान अनिवार्य कर देना चाहिए।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पहचान पुष्टि के बिना एक्सेस का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा करना मुश्किल नहीं है। इस घटना के बाद इस दिशा में विचार-विमर्श शुरू हो गया है, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है, जिसमें विश्व स्तर पर पहल करनी होगी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स चाहें तो खाता खोलने वाले की पहचान के सुबूत के तौर पर वे उसके मोबाइल या फोन नंबर को आधार बना सकती हैं, क्योंकि किसी को भी मोबाइल या फोन नंबर बिना पहचान के नहीं मिलता है।

जब आपत्तिजनक सामग्री दूसरे देश से अपलोड की जाए तो ऐसे मामलों में नेटवर्किंग साइट ऐसी सामग्री लोड करने वाले वाले इंटरनेट सेवा प्रदाता का आईपी एड्रेस मुहैया करा सकती है, लेकिन सरकार को इसके लिए कड़े कानूनी प्रावधान करने होंगे व तय करना होगा कि सामग्री लोड होने पर न सिर्फ संबंधित नेटवर्किंग साइट उसे बिना देर किए हटा दे, बल्कि आईपी एड्रेस मुहैया कराने की जिम्मेदारी उसकी हो। सभी देशों को ऐसे मामले निपटाने के लिए द्विपक्षीय समझौते करने होंगे।

REFERENCES

न्यू ग्लोबल यूथ ऑनलाइन बिहेवियर सर्वे, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी। द दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और आज समाज समाचार पत्रों का अवलो. कन। द सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक और ट्विटर का अवलोकन।